

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मु. नं 23/16 तारीख 25-11-16

उपान - चन्द्र लाल वनाम राधारमण वजे

आपेडा 47 नियम। CPe कावत रिब्यू निर्णय

प्रार्थना पत्र विपिन, सीमा आदि की ओर से श्री राममोसी गुप्ता व ब्रह्मा कुमार मित्र ए. ए. के आपेदन पत्र सो 53/17 नियम। CPe कावत रिब्यू पेश की। आपेदन पत्र का संबंधित किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर छल पत्रावली राधा चन्द्र लाल वनाम राधारमण आदि मु. नं 51/2008 निर्णय दिनांक 27.11.14 तक हो तथा तद्वसी लदार से जमीन से आपेदन में दर्ज तथ्यों की रिकार्ड एवं मोके की लिफ्टि मंगवाई गये। पत्रावली दिनांक 6.12.16 को पेश हो।

3674
25.11.16
3676
28.11.16



उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

6/12/16 प्रार्थी वकील उपस्थित / रिकार्ड क्रम से पत्रावली प्राप्त होवा शामिल की गई व बन्तजार रिपोर्ट लहली तदनु दिनांक 22.12.16 को पेश हो।


2/12/16 प्रार्थी वकील उप / बन्तजार रिपोर्ट 3.1.17 को पेश हो

1-1) प्रार्थी वकील उप / चैरोकर सरकर उप / रिपोर्ट प्रस्तुत करने की हिदायत की दि 16.1.17 को पेश हो।

फ	फर्द अहकाम	
२०.३१७	<p>आधी वकील उप/ बहस सुनी गई/ आर्चना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया कि अनसानी दावा तकासा गाय का आयु रजिस्टर दिनांक २७-११-१५ को जो फाइल नं. डिक्री हुआ है उसमें गम गहरीली के खं. नं. ८५, ८५/३२३, ८५/३२५, ८६, कुल रकबा १.११०० हे० मे १९/५३० हिस्सा, खं. नं. ७९, ७९/३२७ ८०, ८०/३२६, ८५/३२२, ८६/३२५ कुल रकबा १.१३०० हे० मे १९/५३० हिस्सा खं. नं. १६/०.० मे १९/५३० हिस्सा, खं. नं. ८५ रकबा ०.६० हे० मे १९/५३० हिस्सा खं. नं. १५/१, ३, ५६/३३६ कुल रकबा ०.३३ हे० गैर रकबा ७५ रकबा ०.५५, ७५/३२१, ८१, ८३, ८२, कुल रकबा १.३९ हे० मे हिस्सा १९/५३० के आधी गण बोलते दा एी किन्तु डिक्री के बाड बोलते दा एी ०.९९२ एए शर्मि की ही की है। जबकि शेष शर्मि के बावत खुलासा नहीं किया है यह एक मिलरीफल मुठी हो गई है तहसीलदा टोडाभीम से ग्राब डई रिपोर्ट में भी पूरा खुलासा कर दिया है कि जगाबंदी सं. २०७२-७५ के खाला नं. ३३७ मे बोलते दा सुखेइ कुआं ८१० मूल चँद हि० $\frac{८५०}{१६५५}$ दर्ज है जो सखन से ०.०८ हे० अधिक दर्ज हो गया है जिसे डिक्री के पचास कायम मकीन बोलते नं. ३०१ के बोलते दोरा विपिन कुआं हि० $\frac{१५७}{८००}$ लीमादेवी हि० $\frac{१५७}{८००}$ पुष्पी हि० $\frac{३०२}{८००}$ रामपति हि० $\frac{२०५}{८००}$ मे खं. नं. ७९ मे जोड दिया गये। जो कि खाला सं. ३३७ मे दर्ज खं. नं. ७९ रकबा ०.३३७३ मे ०.०८ हे० कम हो जायेगा इसके शुद्ध हो जाने से राजस्व ट्राई दुकल हो जायेगा। शतः आर्चना पत्र स्वीकृत फाइल में आधी वकील की बहस पर मनन किया। फतावली का आवलोकन किया। तहसीलदा एवं पञ्चारीरक से ग्राब रिपोर्ट का आवलोकन किया। रिपोर्ट से</p>	


 उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>प्रतीत होता है कि खारेदा सुखेन्द्रकुमार के खेत में 0.08 हे० भूमि अधिक दर्ज हो गई है जो उसके खेत की भूमि से अधिक है तथा प्राचीनान के हिस्से की भूमि में से कम हो जाना स्पष्ट है अतः प्राचीनान फर्द 047 R.1 स्वीकार किया जाता है। गात्र गहरी के खेत संख्या 33 में खेतदार सुखेन्द्रकुमार 510 मूलचंद जाति महाजन नि० मेहन्दीशु बालाजी के नाम दर्ज भूमि में से 0.08 हे० भूमि कम करके इष्ट जमाबंदी सं० 207275 के खेत संख्या 301 जो कि खेतदार के पत्नीत मया बसा है में विपिन कुमार हि० 147/800, सीमादेवी हि० 147/800, पुष्पीदेवी हि० 302/800, रामपति हि० 204/800 में खतरा नम्बर 79 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा विक्रमपत्रों के अन्वयत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे। आदेश जारी हो। तहरीर जारी हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय आज दिनांक 20.3.17 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (जगदीश आर्य) उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (खंडली) </div>